

## प्रेस विज्ञप्ति

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 51 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई: -

अवगत कराना है, कि दिनांक 07.12.2019 को वादी बृजपाल पुत्र फूलसिंह नि० मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर की पुत्री के साथ अभियुक्त ध्यान सिंह उर्फ धानू पुत्र बीर सिंह नि० ग्राम हरकेडी थाना रामपुर मनि० जनपद सहारनपुर द्वारा बलात्कार करने व जान से मारने की धमकी देने की सूचना पर मु०अ०स० 563/19 धारा 376,506,120बी भादवि व 3/4 पोक्सों एक्ट में थाना रामपुर मनि० पर पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं० 09/20 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-14 स०पुर में विचाराधीन था।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मानेटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के कारण माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-14 स०पुर द्वारा आज दिनांक 11.02.21 को अभियुक्त ध्यान सिंह उर्फ धानू पुत्र बीर सिंह को मु०अ०स० 563/19 धारा 376,506,120बी भादवि व 3/4 पोक्सों एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 51 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।